

दिनांक 30.11.22 का 9 ग हा

श्रीमान लेण्ड रेंक
(उपखण्ड अधि

पत्रावली में उपस्थित/आज
पीठासीन हैं।
अतः पत्रावली में
के पूर्व आदेश को पालना में पेश हो।

अवकाश/असम में है।

7.11.22

JK

7.12.22 पत्रावली पेश। कार्य अधिकतर उप
पैरोकाट सरकार उपस्थित। रेसपो.
से. 2 ता 9 एकपक्षीय। अहम धारा
05 स्पष्ट अधिनियम सुनी गई। अजीम
मिलगता धारा 5 भारतीय अधिक अधिकतर
अहम स्पष्ट माना जाकर सुनवाई योग्य
स्वीकार की जाती है।

पत्रावली फैसल सुनाए लेकर
अन्य नमूने से काम की जाकर दखिल
पकाने हो

उपखण्ड अधिकारी
बबदर (राज०)

- विरेन्द्र कुमार
- जिला सिर
- 2. आरती पु
- सिरोही
- 3. मुरीके
- सिरो
- 4. सुर
- रि
- 1.
- 2.